राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा
निर्वाचन सदन प्लाट नं0 2, सैक्टर 17,
पंचकूला।

अधिसूचना

कमांकः रा0नि0आ0/3ई–।।/2014/1897 दिनांकः 11.07.2014

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 56/2011/रा0दल0अनु0–।। दिनाक 10.03.2014 तथा हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 33 (2) के साथ पठित हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन निशान (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश संख्या एस0ई0सी0/3ई–II/2014/314, दिनांक 13.03.2014 के पैरा–5 की अनुपालना में राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा में पंच/सरपंच/सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद् के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए, अपनी अधिसूचना कमांक रा0नि0आ0/3ई–।।/2011/601 दिनांक 08.04.2011 का अधिकमण करते हुये निम्न चुनाव प्रतीकों की सूची प्रकाशित करता है:–

(चुनाव प्रतीकों की सूची)
श्रेणी (क) राष्ट्रीय स्तर के दल तथा उनके लिए आरक्षित चुनाव प्रतीक

क0सं0	राष्ट्रीय दल	आरक्षित प्रतीक	पता
1.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी	4, गुरूद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली—–110001
2.	भारतीय जनता पार्टी	कमल	11 अशोका रोड़ नई दिल्ली–110001
3.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया	बाल और हंसिया	अजय भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्ससिस्ट)	हथौड़ा, हंसिया और सितारा	ए0के0गोपालन भवन, 27–29, भाई वीर सिहं मार्ग (गोल मार्किट) नई दिल्ली–110001
5.	इंडियन नैशनल कॉग्रेस	हाथ	24, अकबर रोड, नई दिल्ली–110011
6.	नेशनलिस्ट कॉग्रेस पार्टी	घड़ी	10, बिशम्बर दास मार्ग, नई दिल्ली–110001

श्रेणी (ख) हरियाणा राज्य स्तरीय दल तथा उनके लिए आरक्षित चुनाव प्रतीक

क0सं0	राज्यीय दल	आरक्षित प्रतीक	पता
1.	हरियाणा जनहित कांग्रेस (बी0एल0)	ट्रैक्टर	135, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली–110003
2.	इण्डियन नैशनल लोकदल	चश्मा	18, जनपथ नई दिल्ली–110011

श्रेणी (ग) जिला परिषद सदस्यों के लिए आजाद उम्मीदवारों के चुनाव प्रतीक

क0 सं0	चुनाव प्रतीक	क0 सं0	चुनाव प्रतीक	क0 सं0	चुनाव प्रतीक
1.	गाड़ी	17.	मटका	33.	मेज
2.	उगता सूरज	18	अंगूठी	34.	गैसबत्ती
3.	पतंग	19.	बल्ला	35.	मोरपंख
4.	रेड़ियो	20.	फ्राक	36.	कड़ाई
5.	जीप	21.	मोमबत्तियां	37.	हारमोनियम
6.	केतली	22.	सीटी	38.	पीपल का पत्ता
7.	फावड़ा और बेलचा	23.	ब्रूश	39.	रिक्शा
8.	जग	24.	सेब	40.	चकला बेलन
9.	वायुयान	25.	नाव	41.	तोप
10.	रोड़ रोलर	26.	लेडी पर्स	42.	शंख
11.	टेबल पंखा	27.	गैस सिलेंडर		
12.	टेलीफोन	28.	ईंट		
13.	स्कूटर	29.	गैस स्टोव		
14.	पोत	30.	स्लेट		
15.	हाकी और गेंद	31.	कैमरा		
16.	दो तलवार और एक ढाल	32.	गुब्बारा		

श्रेणी (घ) पंचायत समिति सदस्यों के लिए आजाद उम्मीदवारों के चुनाव प्रतीक

1.	ब्लैक बोर्ड	11.	टेलीविजन	21.	हाथ घडी
2.	दीवार घड़ी	12.	रेल का इंजन	22.	बैगन
3.	बरगद का पेड़	13.	लेटरबाक्स	23.	संडासी
4.	झोंपड़ी	14.	प्रेशर कुकर	24.	कमीज
5.	तराजू	15.	टार्च	25.	तीरकमान
6.	फसल काटता हुआ किसान	16.	बदूक	26.	कार
7.	ड्रम	17.	करनी	27.	केन
8.	गले की टाई	18.	ढोलक	28.	बिजली का स्विच
9	अलमारी	19.	हाथ चक्की	29.	कंघी
10.	छत का पंखा	20.	ऊन	30.	सूरजमुखी

श्रेणी (ङ) ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए आजाद उम्मीदवारों के चुनाव प्रतीक

1.	साईकिल	11.	स्टूल	21.	छडी
2.	कांच का गिलास	12.	डमरू	22.	गेहूं की बाली
3.	फलों सहित नारियल का पेड़	13.	लट्टू	23.	पुल
4.	हस्तचलित पंप	14.	वायलिन	24.	केला
5.	सिलाई की मशीन	15.	नल	25.	कैरमबोर्ड
6.	ताला और चाबी	16.	बस	26.	पैसिल
7.	अनाज बरसाता हुआ किसान	17.	कलम दवात	27.	तलवार
8.	सब्जियों की टोकरी	18.	त्रिशूल	28.	ईमली
9.	घंटी	19.	कुआं	29.	अनार
10.	टेबल लैम्प	20.	मूली	30.	तरकश

श्रेणी (च) ग्राम पंचायत के पंच पद के लिए आजाद उम्मीदवारों के चुनाव प्रतीक

1.	सीढ़ी	8.	छाता	15.	दरवाजा
2.	फावड़ा	9.	दो पत्तियां	16.	गमला
3.	बाल्टी	10..	बिजली का बल्ब	17.	सुराही
4.	हल	11.	किताब	18.	गुल्लीडंडा
5.	कुल्हाड़ी	12.	आम	19.	रथ
6.	कैंची	13.	चाबी	20.	अंगूर का गुच्छा
7.	कुर्सी	14.	चारपाई		

2. राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा यह भी निर्देश देता है कि श्रेणी (क) तथा (ख) में दर्शाए गए सभी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनैतिक दलो के आरक्षित चुनाव प्रतीक केवल सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव लड़ने वाले उन्हीं अभ्यर्थियों को अलाट किये जायें जिन्हें सम्बन्धित राजनैतिक दल द्वारा नामनिर्देशित किया गया हो।

3. राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा यह भी आदेश देता है कि यदि जिला परिषद के पदों हेतु अभ्यर्थियों की संख्या 42 से अधिक हो जाए तो उनके चुनाव चिन्ह आबंटन का कार्य पंचायत समिति के चुनाव चिन्ह आबंटन का कार्य सम्पन्न होने तक रोक लिया जाए। पंचायत समिति के चुनाव चिन्हों के आंबटन के उपरान्त जो मुक्त चुनाव चिन्ह शेष बच जाते है तो उनमें से क्रमानुसार जिला परिषद में आबंटन किया जाए, उदाहरण के तौर पर जिला परिषद में 42 मुक्त चुनाव चिन्ह है यदि यह पूरे आबंटित हो जाए और पंचायत समिति में क्रम संख्या 15 तक वर्णित मुक्त चुनाव चिन्ह आबंटित हो चुके हों तो पंचायत समिति के क्रम संख्या 16 पर रखे मुक्त चुनाव चिन्ह को जिला परिषद के लिए मुक्त चुनाव

चिन्हों की संख्या हेतु कम संख्या 43 से माना जाएगा इसी तरह आगे के चुनाव चिन्हों की कम संख्या मानी जाएगी ।

4. आयोग यह भी निर्देश देता है कि अगर ऐसी स्थिति पंचायत समिति तथा सरपंच के मामले में आती है तो जिला परिषद के शेष मुक्त चुनाव चिन्हों मे से, पहले पंचायत समिति में चुनाव चिन्ह आबंटित किए जाएं और उसके बाद सरपंच के पद हेतु आबंटित किए जाएं। यदि जिला परिषद के मुक्त चुनाव चिन्हों से सरपंच हेतु मुक्त चुनाव चिन्ह पूरे न हो तो पंचायत समिति के बचे हुए मुक्त चुनाव चिन्हों को आबंटित किया जाएगा । परन्तु ऐसा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि सूची में अंकित चुनाव चिन्हों के कमांक को आगे पीछे न किया जाए ।

आदेश द्वारा,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

पृ0 कमांक रा0नि0आ0/3ई–II/2014/1898–2077 दिनांकः 11.07.2014

एक प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:–

1. वितायुक्त एंव प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एंव पंचायत विभाग,चण्डीगढ़।
2. आयुक्त मण्डल, अम्बाला, रोहतक, हिसार तथा गुड़गांव।
3. निदेशक, विकास एंव पंचायत विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
4. सभी उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) हरियाणा राज्य।
5. सभी जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी,हरियाणा राज्य।
6. सभी खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, हरियाणा राज्य।
7. सभी राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय राजनैतिक दल।

sd/-
(परमाल सिंह)
सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा

पृ0 कमांक रा0नि0आ0/3ई–II/2014/2078 दिनांकः 11.07.2014

एक प्रति नियंत्रण मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जाती है। उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि वह यह सुनिशचित करने का कष्ट करें कि प्रतीकों की छपाई (impression) स्पष्ट हो।

2. उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि अधिसूचना की 50 प्रतियां पृष्ठाकंन सहित राज्य निर्वाचन आयोग,हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2,सैक्टर–17,पचकूंला को सूचनार्थ तथा प्रमाणित हेतू भेजी जाये।

Sd/-
(परमाल सिंह)
सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,हरियाणा